



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं0 - 159 वर्ष 2026

चन्द्रपाल तथा 2 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : बृजेश शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, मु0स्था0 अधि0

न्यायालय सं0 2

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ता के बीच यह स्वीकृत है कि वर्तमान रिट याचिका में अन्तर्वर्तित विवाद रिट सी सं0 45763 वर्ष 2025 (उस्मान बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य) में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें 07-01-2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया था:-

“याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश शुक्ला के होल्डिंग ब्रीफ श्री अनिल कुमार आदित्य तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश चन्द्र श्रीवास्तव को सुना।

वर्तमान याचिका को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाहियों में मामला सं0 7808 वर्ष 2024 कम्प्यूटर मामला सं0 टी202413380307808 ग्राम सभा बनाम उस्मान) में प्रत्यर्थी सं0 3 तहसीलदार (न्यायिक), तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-04-2025 तथा इसके विरुद्ध दाखिल अपील में प्रत्यर्थी सं0 2 अपर कलेक्टर (न्यायिक) अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा पारित पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 29.11.2025 पर अभ्याक्रमण करने की कोशिश करते हुए दाखिल किया गया है।

याची के अधिवक्ता का प्रतिविरोध यह है कि विनिर्दिष्ट आधार किये जाने के बावजूद कि याची का निर्माण भूखण्ड सं0 1172 पर नही था जिसके संबंध में कार्यवाहियाँ आरंभ की गयी थी, बल्कि पास के भूखण्ड सं0 1177 पर, प्रत्यर्थी अधिकारियों ने आक्षेपित आदेशों को पारित किया है।

मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थी दो सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।

तत्पश्चात् याची के पास प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह होगा।

02-02-2026 को सूचीबद्ध किया जाय।

सूचीबद्ध किये जाने के अगली तिथि तक प्रत्यर्थी सं0 3 तहसीलदार (न्यायिक), तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाहियों में पारित आदेश दिनांक 28-04-2025 प्रास्थगन में रहेगा।”

2. याची के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि चूँकि वर्तमान मामले में अन्तर्वर्तित विवाद समान है जैसा उस्मान (ऊपर) के मामले में है अतः याची उसी अनुतोष का हकदार भी है।

3. जैसा प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए छः सप्ताह का समय दिया गया है। प्रत्युत्तर शपथपत्र तत्पश्चात दो सप्ताह में दाखिल किया जा सकता है।

4. रिट सी सं0 45763 वर्ष 2025 के अभिलेख के साथ माह मई, 2026 में सूचीबद्ध किया जाय। सूचीबद्ध किये जाने के अगले तिथि तक उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी सं0 3, तहसीलदार (न्यायिक), तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा पारित दिनांक 28-04-2025 प्रास्थगन में रहेगा।

जनवरी 19, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



SKTian

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"